कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची

आदेश

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 यथा संशोधित 2015 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त दोनों अधिनियम के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के वर्ष 2021–22, वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 के वैद्यानिक अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को निम्न शर्तों के तहत अनुमोदित किया जाता है:–

S. N	NAME & ADDRESS OF CA / CA FIRMS	CAG No.	UCN/MEF No.	CATEGORY
1.	SUSHIL KUMAR SHARMA & CO. 222, Tirath Mansion, Main Road, Near Over Bridge, Ranchi- 834001. Mob: 9431106845, email -cadksranchi@live.in	ER 0589 /2020-21	MEF 23927 /20-21	A
2.	A.K. SINGHANIYA & CO. 233, First Floor, Tirath Mansion, Near Over Bridge Main Road, Ranchi-834001, Mob. 9431174269, email -aks_ca02@rediffmail.com	ER 0969 /2021-22	MEF 50709 /20-21	A
3.	S.K. JHA & ASSOCIATES 2ND Floor, Shivdayal Commercial Complex, Harmu Argora Road, Harmu Ranchi-834012. Ph: 9431177093, email - rnc_chy@rediffmail.com	ER 0296 /2020-21	MEF 03233 /20-21	A
4.	GOYAL PARUL & CO. 1st Floor, Harnam Complex, Near Allahabad Bank, Main road, Ramgarh-829122, Jharkhand. Mob. No. : 9955840855, e-mail - asha.garg.2020@yahoo.com	CR 3592 /2020-21	MEF 31789 /20-21	A
5.	PANKAJ TAYAL & ASSO. 413 Panchwati Plaza, Kutchery Road, opp. Jaipal Singh Stadium, Ranchi-834001.Phone No. : 9431574352, email - capankajtayal@gmail.com	ER 0646 /2020-21	MEF 08559 /20-21	A
6.	JAIN SAROGI & CO. 508- B, Panchwati Plaza, Kutchery Road, Ranchi- 834001. Mob: 9955127330, email - cakamaltayal@gmail.com	CA 0193 /2020-21	MEF 03359 /20-21	A
7.	SUMAN JEJANI & ASSOCIATES 502, Rishab Tower, Old Vasundhara Cinema,Line Tank Road, Ranchi-834001. Mob. No. : 9431736555. e-mail -casjejani@gmail.com	ER 0505 /2020-21	MEF 11263 /20-21	A
8.	JAGDISH MITTAL & CO. G-7, Mangal Murti Height, Harmu road, Ranchi-834001 Mob: 9437040615, email - jpmittal29@gmail.com	SPO 076 /2020-21	UCN 260585	A
9.	GUPTA SACHDEVA & CO. Chamber No. 25, New building, Dhanbad - 826001 Mob: 7352807000, e-mail -gauravgunjan91@gmail.com	DE 2237 /2020-21	MEF 16827 /20-21	A
10.	SPARK & ASSOCIATES CA LLP 1st Floor, Basant Complex, Sakchi, Jamshedpur Mob: 8860275379, e-mail - mittal.vineet1@gmail.com	CR 4422 /2020-21	MEF 24239 /20-21	A
11.	APT & CO. LLP 2nd floor, above Gujral Distributor,line tank road, Ranchi- 834001. Mob: 9798299149, e-mail - caabhinaysingh@gmail.com	DE 2689 /2020-21	MEF 83447 /20-21	A
12.	BRISKA & ASSOCIATES H. No. - 104, Hesag, Near- Chhat Talab, Hatia, Ranchi- 834003, Mob: 8827698272, e-mail - caroshani0008@gmail.com	CR 0599 /2020-21	MEF 01326 /20-21	A
13.	R.N. MISHRA & CO. S- 2, 2nd Floor, Alkapuri Commercial Complex, Lalpur, Ranchi 834001, Mob 9771463560, e-mail -casanjeevchoudhary@gmail.com	ER 0040 /2020-21	MEF 08992 /20-21	A
14.	J. N. MITTAL & CO. 2nd Floor, Naag Chaaya Building,Main Road, Hinoo, Ranchi - 834001. Mob: 9798761933, e-mail - jnmitalcoranchi@gmail.com	DE 1010 /2020-21	MEF 06033 /20-21	A

Reena/ASHWINI/OFF LETTER/Order Of C.A

15.	R.M. ASSOCIATES Fazal Mansion, Jamia Nagar, Kadru, Ranchi-834002. Mob: 9835165820 e-mail -camuzaffariqbal@gmail.com	ER 0124 /2020-21	MEF 70579 /20-21	A
16.	VINOD SINGHAL & CO. A-301, Shree Nand Rani Niwas, Veer Kunwar Singh Colony, Airport Road, Hinoo, Ranchi- 834002, Mob: 9431581700 e-mail -dineshpradhanl@vsc.co.in	CR 1605 /2020-21	MEF 94199 /20-21	A
17.	K PANDEY & CO. 102, Sahdev Enclave, Near Ratu Road, telephone Exchange and GO7 quarter, Ranchi-834001 Ph. No. 0651-6999001 e-mail -rchmanjeet1969@gmail.com	ER 0615 /2020-21	MEF 31592 /21-22	A
18.	D.N. DOKANIA & ASSOCIATES 103 A, 1st Floor Shanti Bhawan, Bank More, Dhanbad-826001, Mob: 9431158505, e-mail -ca@dndokania.com	ER 0583 /2021-22	UCN 50076 /20-21	A
19.	MANMOHAN SINGH & CO. 2, East Jail Road, Ranchi 834001. Mob. No- 9334460555. e-mail -jpsharmaca@gmail.com	DE 0065 /2021-22	MEF 0269 /21-22	A
20.	KADMAWALA & CO. Office No. - 3001, 3rd floor, Sky line, Kadru, Ranchi- 834002, Mob: 9905326487, e-mail -cakadamwala@gmail.com	SPO 276 /2020-21	UCN 260381 /21-22	A
21.	R SHAH & CO. 2, East jail Road, Ranchi- 834001. Mob: 9835150041, e-mail -caneetu@gmail.com	CR 1092 /2021-22	MEF 06445 /20-21	A
22.	S JAYKISHAN & CO. C-218, Road no.- 2, Ashok Nagar,Ranchi - 834002, Mob. No. 9905473810,e-mail - akdranchijjc@gmail.com	CA 0317 /2020-21	MEF 14784 /21-22	A
23.	U S PRASAD & CO. Shop No. S/7, 3rd Floor, Shatabdi Tower, SNP Area Sakchi, Jamshedpur-831001, Mob. No. : 8521152337, e-mail -rakesh.yashaswi@yahoo.com	ER 0462 /2021-22	UCN 891068 /20-21	A
24.	ANJALI JAIN & ASSOCIATES P. P. Compound, Near- Guru Nanak School, Ranchi- 834001. Mob: 09334701107, email - anjalijain123123@yahoo.com	ER 0435 /2021-22	MEF 02029 /21-22	A
25.	THAKUR BHUWANESH & ASSOCIATES Satyabhama Grand, A- Block, Flat no-2A, Kusai Colony, Doranda, Ranchi-834001, Mob. No. 9835385500, e-mail - tbacajh@gmail.com	ER 0625 /2021-22	MEF 29734 /20-21	A
26.	SINGH RAY MISHRA & CO. 101 Mirnal Enclave, Navin Mitra Road, Lalpur, Ranchi- 834001, Mob: 9430067277, e-mail - dkumar-srm@yahoo.in	SPO 077 /2020-21	MEF 00547 /21-22	A
27.	PARIK & CO. JAMSHEDPUR Aashirwad Bhawan, Dindli Basti, Adityapur, Jamshedpur - 831013, Mob: 8873002494, email -mittal.casumit@gmail.com	ER 0855 /2021-22	894058/20-21	A
28.	CHANAKYA ASHOK & CO. Shop No. 349, Baldeo Bhawan, Shardha Nand Road, Near Pradesh Congress Office, Upper Bazar, Ranchi- 834001. Mob: 9471621466, e-mail - info@chanakyaashok.com	ER 0657 /2020-21	MEF 22936 /21-22	A
29.	KRAPS & CO. First Floor, Ganpati Complex, Opp-Sidhu-Kanhu Park, Ranchi- 834008, Mob:7631997007, email - info@krapsandco.in	CR 4884 /2020-21	899728 /21-22	A
30.	SPSA & CO. 101, Shanti Nagar, Kelabari Pokhariya, Sahebganj-816109, Mob: 9820738404, e-mail - caaditya22@gmail.com	DE 2724 /2020-21	UCN 4184 /20-21	B

31.	VIJAYA SINGH & ASSOCIATES C/o Rajeev Ranjan srivastava HO Tanan Singh, Shivganj Kishoreganj chowk, Ranchi- 834001, Mob: 9955056908, e-mail -vijayasingh09@gmail.com	ER 1188 /2020-21	MEF 81393 /20-21	B
32.	RAJEEV R MISHRA & CO. House no. 117. Road no. - 1 janak nagar, ojha market, Piska More, Ranchi- 834005, Mob: 9234554106, e-mail - carajeevranjan@rediffmail.com	ER 0947 /2021-22	MEF 33349 / 21-22	B
33.	S D & ASSOCIATES 1 A, Ground Floor, Mahabir Tower, Main Road Ranchi-834001, Mob: 9891516269 e-mail -info@sdandassociates.in	ER 1385 /2021-22	MEF 47971 /20-21	B
34.	JSGA & ASSO. Shop no. 6A, 1st Floor, Keshari Apartment, Mahavir Chowk, Ranchi-834001, Mob: 9832301906, e-mail -jsga.ho2011@gmail.com	ER 1262 /2020-21	MEF 57023 /21-22	B
35.	NDSKA & ASSOCIATES House no.- B-3, KGN Colony, Manitola, Doranda,Ranchi - 834002, Mob: 8809356920, e-mail - faranchi@gmail.com	ER 1048 /2021-22	MEF 40408/21-22	B
36.	A DEWAN & CO. 105, Ranchi Club, Shopping complex, Main Road, Ranchi- 834001. Mob: 7859000007, e-mail -dewanranchi@gmail.com	ER 0420 /2020-21	MEF 11827 /20-21	C
37.	TAYAL JAIN & CO. 510- A, Panchwati Plaza, Kutchery Road, Ranchi- 834001. Mob: 7209421930, email - carashmitayal@gmail.com	ER 1132 /2020-21	MEF 66506 /20-21	C
38.	M KISHORE & CO. MIG-37, Harmu Housing colony, Harmu, Ranchi- 834002, Mob: 9304672194 , e-mail - mkckirm@gmail.com	ER 1182 /2020-21	MEF 72138 /20-21	C
39.	RATISH KR. & ASSOCIATES Park Plaza, office- 403, 4th floor, Tagore Hill Road, Morabadi, Ranchi, PIN-834008,Phone No. : 0651-552245, e-mail -ratish1968@yahoo.co.in	ER 0972 /2020-21	MEF 44462 /21-22	C

(1) सहकारी समितियों के लेखाओं का अंकेक्षण हेतु सहकारी समिति के सामान्य निकाय (General Body) के द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के द्वारा ही उक्त समिति का अंकेक्षण किया जाएगा।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिस वित्तीय वर्ष से ऐसा लेखा संबंधित हो।

(3) जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहां के लिए सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा कराया जाएगा।

(4) चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के पारिश्रमिक का निर्धारण सहकारी समिति के सामान्य निकाय (General Body) के द्वारा किया जाएगा जो निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड राँची के आदेश ज्ञापांक –1366 (7) दिनांक–02.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क के आधार पर होगा।

(5) चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म द्वारा झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित 2015 की धारा – 33, 33 (क) एवं 33 (ख) तथा झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति

अधिनियम् 1996 यथा संशोधित 2015 की धारा – 33 के विभिन्न कंडिकाओं में अंकित दिशा–निर्देशों के आलोक में लेखा बहियों/संचिकाओं/अन्य दस्तावेजों के आधार पर अंकेक्षण कार्य संपन्न करेंगे तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन में शीर्षवार विस्तृत सत्यापन एवं मूल्यांकन करते हुए अभियुक्तियाँ दर्ज करेंगे। सहकारी समितियों द्वारा किए गये कारोबार से संबंधित तथ्यों को छुपाने/दुर्विनियोग/वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामलों को प्रकाश में नहीं लाने पर दोषी चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्मों का नाम पैनल से हटाते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा एवं उनके विरूद्ध अन्य अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(6) प्राथमिक सहकारी समितियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के द्वारा अंकेक्षण संपन्न करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर चार प्रतियों में अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर निम्नलिखित पदाधिकारियों को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(a) संबंधित जिला के जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ।

(b) संबंधित अंचल के सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ।

(c) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0/प्रबंध निदेशक, धनबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिससे समिति संबद्ध है।

(d) अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित सहकारी समिति।

(7) शीर्ष सहकारी संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के द्वारा अंकेक्षण संपन्न करने की तिथि से 45 दिनों के अंदर 03 (तीन) प्रतियों में अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर निम्नलिखित पदाधिकारियों को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(a) निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड राँची।

(b) संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची।

(c) अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित शीर्ष सहकारी संस्था।

झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0/ धनबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक का अंकेक्षण प्रतिवेदन पूर्व में दिये गये निदेश के अनुरूप सभी संबंधितों को समर्पित किया जायेगा।

(8) प्राथमिक सहकारी समितियों के अंकेक्षण के पश्चात् चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गबन, दुर्विनियोग, वित्तीय अनियमितता से संबंधित मामलों की समीक्षा कर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ द्वारा अधिभार की कार्रवाई की जाएगी।

(9) शीर्ष सहकारी संस्था/झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक के अंकेक्षण के पश्चात् चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गबन, दुर्विनियोग, वित्तीय अनियमितता से संबंधित मामलों की समीक्षा कर संयुक्त निबंधक (अंके०), सहयोग समितियाँ, द०छो०प्र०, रॉची द्वारा अधिभार की कार्रवाई की जाएगी।

(10) धनबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक के अंकेक्षण के पश्चात् चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गबन, दुर्विनियोग, वित्तीय अनियमितता से संबंधित मामलों की समीक्षा कर संयुक्त निबंधक (अंके०), सहयोग समितियाँ, द०छो०प्र० रॉची/जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, धनबाद द्वारा अधिभार की कार्रवाई की जाएगी।

(11) किसी भी चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को पैनल में रखने एवं हटाने अथवा तत्संबंधी कार्रवाई का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास होगा।

(12) यदि सहकारी समितियों के वैद्यानिक अंकेक्षण के लिए आवश्यकतानुसार अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाएगा तो वैसे निर्गत आदेशों का अनुपालन भी संबंधित चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को करना होगा।

(13) चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को सहकारी समिति के वैद्यानिक अंकेक्षण प्रारंभ / संपन्न करने की सूचना, संबंधित जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ को देना होगा।

(14) चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को शीर्ष सहकारी संस्था के वैद्यानिक अंकेक्षण प्रारंभ / संपन्न करने की सूचना संयुक्त निबंधक (अंके०), सहयोग समितियॉ, द०छो०प्र0, रॉची एवं अधोहस्ताक्षरी को देना होगा।

(15) Category A के चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म शीर्ष सहकारी संस्था एवं सभी सहकारी समिमियों के अंकेक्षण के लिए योग्य होंगे।

(16) Category B के चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म ऐसे सहकारी समितियों के अंकेक्षण के लिए योग्य होंगे, जिसका कार्यशील पूँजी (Working Capital) तीन करोड़ से कम हो।

(17) Category C के चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म ऐसे सहकारी समितियों के अंकेक्षण के लिए योग्य होंगे, जिसका कार्यशील पूँजी (Working Capital) दो करोड़ से कम हो।

(18) सहकारी समितियों के कार्यशील पूँजी (Working Capital) का निर्धारण समिति के पूर्व अंकेक्षित वित्तीय वर्ष के आधार पर निबंधक, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची के आदेश ज्ञापांक–1366 (7) दिनांक–02.05.2019 में उल्लेखित निदेश के आलोक में किया जाएगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

निबंधक
सहयोग समितियाँ,झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 954(7) / राँची दिनांक 05.05.2022
7/CA EMP.-12/2021

प्रतिलिपि : सभी चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म / सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित) / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सहाकारी बैंक लि0 / प्रबंध निदेशक, सभी शीर्ष सहकारी संस्था / प्रबंध निदेशक, धनबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 / सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी / सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ / सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित, उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने अंचल में स्थित सभी सहकारी समितियों को उपर्युक्त पैनल उपलब्ध करायेंगे।

निबंधक
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 954(7) / राँची दिनांक 05.05.2022
7/CA EMP.-12/2021

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची / मुख्य महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, रॉची / महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

05-05-2022
निबंधक
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

Email

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

आदेश

इस विषय पर पूर्व में निर्गत किये गये सभी परिपत्र एवं अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए झारखण्ड सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित) की धारा – 33 (5) के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के अंकेक्षण शुल्क का मूल्यांकन एव अंकेक्षण शुल्क की वसूली किये जाने के लिये अधोलिखित आदेश दिये जाते हैं :–

2. समिति के कार्यशील पूँजी एवं वार्षिक कारोबार के आधार पर अंकेक्षण शुल्क की गणना की जायेगी। प्रदत्त हिस्सा पूँजी + सुरक्षित एवं अन्य कोष + अमानत + देय ऋण राशि + कुल संचित लाभ (यदि हो) – कुल संचित हानि (यदि हो) को कार्यशील पूँजी माना जायेगा। गृह निर्माण सहयोग समिति के मामले में सदस्यों से जमीन/मकान हेतु प्राप्त अग्रिम की असमायोजित राशि को भी समिति के कार्यशील पूँजी में शामिल किया जायेगा।

समिति के वार्षिक आय–व्यय विवरणी के व्यय भाग के कुल योग से अन्तःकालीक शेष रोकड़ घटाने के पश्चात् शेष राशि उस समिति के वार्षिक कारोबार की राशि समझी जायेगी, जिन सहकारी समितियों में जरनल का प्रयोग होता है, वहाँ डेबिट (सुधारात्मक प्रविष्ट एवं कंट्राइंट्री को छोड़कर) योग भी वार्षिक कारोबार में शामिल समझा जायेगा।

अंकेक्षण शुल्क की वार्षिक दरें

क्र0	समितियों के प्रकार	आधार एवं वार्षिक दर	न्यूनतम	अधिकत्तम
1.	शीर्षस्थ सहकारी समितियाँ			
	(क) शीर्षस्थ सहकारी समितियों (क्षेत्रीय हैण्डलूम वीभर्स यूनियन सहित) (केवल क्रय विक्रय एवं उत्पादन करने वाली समितियों को छोड़कर)	कार्यशील पूँजी पर 1.00 रू0 प्रति हजार या उसके अंश पर	25,000.00	3,00,000.00
	(ख) शीर्षस्थ सहकारी समितियों केवल क्रय– विक्रय करने वाली शीर्षस्थ सहकारी समितियाँ	वार्षिक कारोबार की राशि पर 2.00 रू0 प्रति हजार या उसके अंश पर	25.000.00	3,00,000.00
2.	केन्द्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ			
	(क) (केवल क्रय–विक्रय एवं उत्पादन करने वाली समितियों को छोड़कर)	कार्यशील पूँजी पर 1.00 रू0 प्रति हजार या उसके अंश पर	10.000.00	1,00,000.00
	(ख) केन्द्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ (केवल क्रय– विक्रय एवं उत्पादन करने वाली केन्द्रीय स्तर की समितियाँ)	वार्षिक कारोबार की राशि पर 2.00 रू0 प्रति हजार या उसके अंश पर	10.000.00	1,00,000.00
3.	प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियाँ			
	(क) लैम्पस/पैक्स एवं गृह निर्माण समितियाँ सहित (केवल क्रय विक्रय एवं उत्पादन करने वाली समितियों को छोड़कर)	कार्यशील पूँजी पर 1.00 रू0 प्रति हजार या उसके अंश पर	1.000.00	50,000.00

REENA/E/OFFICE ORDER1/2019

	(ख) प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियाँ (केवल क्रय– विक्रय, उत्पादन एवं निविदा प्राप्त करने वाली समितियाँ) (श्रमिक सहयोग समिति सहित)	वार्षिक कारोबार की राशि पर 2.00 रू0 प्रति हजार या उसके अंश पर	1.000.00	50,000.00
4.	वैसी समितियाँ जो लगातार दो वर्षों से बिल्कुल निष्क्रिय रही है।		50.00 रू0 प्रतिवर्ष मात्र	
5.	परिसमापन के अन्तर्गत समितियाँ		50.00 रू0 प्रतिवर्ष मात्र	

6. झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 के लिये अंकेक्षण शुल्क

क्र0	समितियों के प्रकार	आधार एवं वार्षिक दर	अंकेक्षण शुल्क
	(क) मुख्यालय	Business Level (Adances + Deposit)	
		1. Below Rs. 500 Crore	26560.00
		2. Rs. 500 Crore to 1500 Crore	40625.00
		3. Above Rs. 1500 Crore to Rs. 3000 Crore	53100.00
		4. Above Rs. 3000 Crore to Rs. 4500 Crore	67200.00
		5. Above Rs. 4500 Crore to Rs. 15000 Crore	78150.00
		6. Above Rs. 15000 Crore to Rs. 25000 Crore	90650.00
		7. Above Rs. 25000 Crore	105150.00
	(ख) अधिकोष की शाखा	Quantum of Loans & Advances of the concerned branch (Excluding inter Branch advances)	
		1. Upto Rs. 2.5 Crore	5000.00
		2. Above Rs. 2.5 Crore to Rs. 5.0 Crore	6300.00
		3. Above Rs. 5.0 Crore to Rs. 8.0 Crore	7900.00
		4. Above Rs. 8.0 Crore to Rs. 15.0 Crore	9300.00
		5. Above Rs. 15.00 Crore to Rs. 25.00 Crore	11000.00
		6. Above Rs. 25.00 Crore to Rs. 40.00 Crore	13000.00
		7. Above Rs. 40.00 Crore	15350.00

3. वैसी सहयोग समितियॉ जिन्होंने निबंधन के पूर्व आर्थिक कारोबार किया है और कालांतर में झारखण्ड सहकारी समितियॉ अधिनियम 1935 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत निबंधित हो गई हो के संबंध में यदि निबंधन पूर्व कारोबार की अवधि एक वर्ष से कम की हो तो शुल्क भारित नहीं किया जाएगा अन्यथा उपर्युक्त निर्धारित दर से अंकेक्षण शुल्क भारित किया जायेगा।

4. निम्न प्रकार की सहयोग समितियॉ को अंकेक्षण शुल्क से मुक्त किया जाता है :–

(i) नई प्रारंभिक सहयोग समितियॉ प्रथम दो वित्तीय वर्षों के लिए

(ii) ग्रामीण विकास संबंधी लाभ नहीं अर्जित करने वाली सहयोग समितियॉ

(iii) प्राथमिक समितियॉ जो पॉच वर्षों से बिल्कुल निष्क्रिय है और साथ ही संचित हानि में है।

(iv) अनुसूचित जाति/जनजाति/समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों एवं महिलाओं की प्राथमिक समितियॉ जिनके वार्षिक आय–व्यय के विवरण के व्यय भाग का कुल योग–50,000.00 रू0 से अधिक न हो।

5. समाज के कमजोर वर्गे के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं की शत प्रतिशत भागीदारी वाली समितियों के अंकेक्षण शुल्क निर्धारण के क्रम में उपर्युक्त आधार पर आने वाली राशि का 50 प्रतिशत ही अंकेक्षण शुल्क के रूप में धारित किया जायेगा।

6. वार्षिक अंकेक्षण से तात्पर्य एक पूरा वित्तीय वर्ष या आंशिक वित्तीय वर्ष के लेखा का अंकेक्षण है।

7. झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियॉ अधिनियम 1996 के अन्तर्गत निबंधित सहयोग समितियॉ का भी उपर्युक्त मानदण्डों एवं दरो के अनुसार ही अंकेक्षण शुल्क लगाया जायेगा।

8. अंकेक्षण शुल्क निर्धारण के क्रम में विवाद की स्थिति में निबंधक, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची का निर्णय अंतिम होगा।

9. अंकेक्षण शुल्क का यह दर वर्ष 2018–19 से अगले पॉच वर्षों के लिए मूल्यांकन हेतु प्रभावी होगा।

10. निर्धारित अंकेक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कर (TAX) समिति द्वारा वहन नहीं किया जायेगा।

अंकेक्षण शुल्क की वसूली

अंकेक्षण शुल्क सहकारिता विभाग का महत्वपूर्ण सरकारी राजस्व है, जिसकी नियमित एवं शत प्रतिशत वसूली आवश्यक है। वसूली हेतु निम्नलिखित निदेशों का दृढतापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाय –

1. जिला अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तरीय समिति के अंकेक्षण समाप्ति के उपरांत अंकेक्षण पदाधिकारी छः प्रतियों में अंकेक्षण शुल्क विपत्र विहित संख्या–1 में तैयार करेंगे जिसकी एक–एक प्रति संबंधित समिति/सहायक निबंधक/जिला सहकारिता पदाधिकारी/झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियॉ को समर्पित की जायेगी। शीर्ष सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण शुल्क विपत्र की प्रतिलिपि निबंधक, सहयोग समितियॉ को भी समर्पित की जायेगी।

2. जिला, अनुमण्डल एवं प्रखंड स्तरीय समिति के अंकेक्षण समाप्ति के उपरांत अंकेक्षण पदाधिकारी छः प्रतियों में अंकेक्षण शुल्क विपत्र विहित प्रपत्र संख्या–1 में तैयार करेंगे जिसकी एक–एक प्रति संबंधित समिति/सहायक नबंधक/जिला सहकारिता पदाधिकारी/केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक/प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियॉ को समर्पित की जाएगी। शीर्ष सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण शुल्क विपत्र की प्रतिलिपि निबंधक, सहयोग समितियॉ को भी समर्पित की जायेगी।

3. अंकेक्षण शुल्क पंजी का संधारण केन्द्रीय सहकारिता बैंक जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में आवश्यक रूप से किया जायेगा। साथ ही प्रखण्ड स्तर पर भी अंकेक्षण शुल्क का संधारण प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. अंकेक्षण शुल्क वसूली एवं कोषागार में जमा कराने के लिए प्रभारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। प्रखण्ड स्तर पर पदस्थापित प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी प्रखण्ड की सभी समितियों से अंकेक्षण शुल्क की राशि सरकारी कोषागार में जमा कराने की लिए उत्तरदायी होंगे। अंचल के सहायक निबंधक प्रत्येक माह अंकेक्षण शुल्क वसूली के प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा अंकेक्षण शुल्क जमा नहीं करने वाली सहकारी समितियों के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई एवं वसूल नहीं कराने वाले विभागीय पदाधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ द्वारा प्रत्येक माह अंकेक्षण शुल्क वसूली की समीक्षा की जायेगी एवं शत प्रतिशत अंकेक्षण वसूली सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रखण्ड से बाहर (शहरी क्षेत्र) की समितियों से अंकेक्षण शुल्क वसूल करने का उत्तरदायित्व अंचल के सहायक निबंधक का होगा। वे प्रभारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को अपने प्रभार की समितियों से अंकेक्षण

शुल्क की राशि सरकारी कोषागार में जमा कराने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे तथा उनसे अंकेक्षण शुल्क जमा राशि का मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे।

6. जिन समितियों द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि स्मार के बावजूद जमा नहीं की जाती, वैसी समितियों से अंकेक्षण शुल्क की वसूली के लिए लोक मॉग वसूली अधिनियम (Public Deman recovery Act) के अधीन सर्टिफिकेट की कार्रवाई की जाय, जो झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 (यथा संशोधित) की धारा–52 के अनुसार अनुमान्य है। संबंधित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा अन्य बैंकों में संबंधित समिति के बचत/चालू खाते में जमा राशि को अंकेक्षण शुल्क वसूली हेतु अटैच करने की कार्रवाई की जा सकती है। सहायक निबंधक इसके लिए आवश्यक वसूली मॉग पत्र जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–निलाम पत्र पदाधिकारी/सक्षम निलाम पदाधिकारी के यहॉ देंगे। इस प्रकार के मामलों में वसूली की जिम्मेदारी संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी।

7. शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार के कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिवर्ष अंकेक्षण शुल्क की कुल बकाया राशि सरकारी कोषागार में जमा कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, पूर्ववत निर्धारित प्रपत्र में अंकेक्षण शुल्क का मासिक प्रतिवेदन निश्चित रूप से संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित करेंगें।

2.5.19

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1366(7) राँची, दिनांक 2-5-2019

07/अंके0शुल्क निर्धा0–28/2012

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहाकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची/महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

2.5.19

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1366(7) राँची, दिनांक 2-5-2019

07/अंके0शुल्क निर्धा0–28/2012

प्रतिलिपि : सभी संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण सहित), सहयोग समितियॉ, झारखण्ड/सभी उप निबंधक, स0स0, झारखण्ड/सभी उप मुख्य अंकेक्षक, स0स0, झारखण्ड/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, झारखण्ड/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड/सभी अनुमण्डल/वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड/सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी प्रशासक एवं प्रबंध निदेशक, शीर्षस्थ सहकारी संस्थान, झारखण्ड/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, रॉची/प्रबंध निदेशक, धनबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, धनबाद/सभी केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार/सभी प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.5.19

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

REENA/E/OFFICE ORDER4/2019

EMAIL

कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची

आदेश

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 954 (7) दिनांक 05.05.2022 के द्वारा झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 यथा संशोधित 2015 के तहत निबंधित सभी सहकारी समितियों के वर्ष 2021–22, वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 के वैद्यानिक अंकेक्षण हेतु 39 चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को अनुमोदित किया गया है। उक्त पैनल में निम्न चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को सम्मिलित करते हुए निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया जाता है :–

S.N	NAME & ADDRESS OF CA / CA FIRMS	CAG No.	UCN/MEF No.	CATEGORY
1.	K.S. BOTHRA & CO. Indira Nagar, Kanke Road, Ranchi-834008.Mob: 9471186522 email-vijaykumarsahuca@gmail.com	CAV/F/114-2020	UCN 070504	B
2.	N. DOKANIA & ASSOCIATES 405, Girdhar Plaza, Harmu Road, Ranchi-834001. mob: 6513510601/8969599111 email - nvdokania@yahoo.co.in	ER 1007 /20-21	UCN 898354 /12-13	C
3.	J.N GUPTA & CO. 1st Floor, Modi Complex, Nehru Road, Ramgarh cant. Ramgarh- 829122 Mob: 8709902822 email.casandeepkhandelwal@gmail.com	CR 1749 /20-21	MEF 13378 /20-21	A
4.	SINGHAL SUNIL & ASSOCIATES First Floor, 104, Nidan Karamtoli Road Hatma, Ranchi-834002. Mob: 8210067805. e-mail -ssa.bo.ranchi@gmail.com	DE 1261 /2020-21	MEF 04782 /20-21	A
5.	SHREEKANT SHARMA & ASSOCIATES first floor, Rajdhani Manya Tower, Piska more, Ratu Road, Ranchi- 834005 Mob: 8797747924 e-mail -shreekant.sharmaa@gmail.com	ER 1308 /21-22	MEF 81824 /2021-22	C
6.	BABAN PRASAD & ASSOCIATES Janki Sadan, Lake Avenue, Kanke Road, Ranchi-834008.Mob: 9835123679 e-mail -ca.babbanpd@gmail.com	ER 0675 /2020-21	MEF 19532 /2021-22	C
7.	R.N. SINGH & CO. 201, 2nd floor, Nagina Tower, behind Bank of Baroda, Adityapur, Jamshedpur-831013 Mob: 7061871121 e-mail -carnsingh.jsr@gmail.com	CA 0858 /2020-21	MEF 20125	C
8.	JAIN PODDAR & CO. 502-503, Mangal Tower, Old Hazaribag Road, Kantatoli, Ranchi-834001. Ph: 06512530318 e-mail -jainpoddarco@gmail.com	ER 0678 /2020-21	MEF 10024 /2021-22	B
9.	J.N AGRAWAL & CO. Room no.-06, Ground Floor, RIT building, Court compound, Ranchi- 834001 Mob: 9708549709 e-mail -jnagrawalco@gmail.com	ER0141	MEF 07771 /2020-21	C
10.	SHANKAR BANDYOPADHYAY & CO. Room No. 406, 4th floor R R tower, Ratu Road, Ranchi- 834001 Mob: 8603666734 e-mail - casbranchi@gmail.com	ER 0309/2020-21	MEF 22220	B

S.N	NAME & ADDRESS OF CA / CA FIRMS	CAG No.	UCN/MEF No.	CATEGORY
11.	N K D & CO. 2nd floor, Radha Gouri, North Market Road, Goushala Chowk, Upper Bazzar, Ranchi-834001., Mob: 8987580845 e-mail - nkdandcojh@gmail.com	ER 0240/2021-22	MEF 10734	A
12.	D JHA & ASSOCIATES Suraj Market First Floor, Lalji Hirji Road, Main Road, Ranchi- 834001, Mob: 9304622565 e-mail - cadjha@gmail.com	ER0557	MEF 16730 /2020-21	A
13.	DANSPARK & CO. 2nd floor, Om Plaza, Near Asgey Hospital, Aambagan, Sakchi, Jamshedpur - 831001 Mob: 7782961112 e-mail - info@danspark.co.in	ER 0412/2020-21	MEF 08293 /2020-21	A

साथ ही इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 954 दिनांक 05.05.2022 द्वारा अनुमोदित सूची के क्रमांक 16 में अंकित चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के VINOD SINGHAL & CO. के आवेदन के आलोक में उनके नाम का संशोधन निम्न रूप से किया जाता है। VINOD SINGHAL & CO. LLP A-301, Shree Nand Rani Niwas opposite Ara mill, Veer Kunwar Singh Colony, Airport Road, Hinoo, Ranchi 834002, Mob: 9431581700, e-mail dineshpradhan@vsc.co.in

(1) सहकारी समितियों के लेखाओं का अंकेक्षण हेतु सहकारी समिति के सामान्य निकाय (General Body) के द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के द्वारा ही उक्त समिति का अंकेक्षण किया जाएगा।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिस वित्तीय वर्ष से ऐसा लेखा संबंधित हो।

(3) जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहां के लिए सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा कराया जाएगा।

(4) चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के पारिश्रमिक का निर्धारण सहकारी समिति के सामान्य निकाय (General Body) के द्वारा किया जाएगा जो निबंधक सहयोग समितियाँ, झारखण्ड राँची के आदेश ज्ञापांक –1366 (7) दिनांक–02.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क के आधार पर होगा।

(5) चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म द्वारा झारखण्ड सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित 2015 की धारा – 33, 33 (क) एवं 33 (ख) तथा झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम् 1996 यथा संशोधित 2015 की धारा – 33 के विभिन्न कंडिकाओं में अंकित दिशा–निर्देशों के आलोक में लेखा बहियों/संचिकाओं/अन्य दस्तावेजों के आधार पर अंकेक्षण कार्य संपन्न करेंगे तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन में शीर्षवार विस्तृत सत्यापन एवं मूल्यांकन करते हुए अभियुक्तियाँ दर्ज करेंगे। सहकारी समितियों द्वारा किए गये कारोबार से संबंधित तथ्यों को छुपाने/दुर्विनियोग/वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मामलों को प्रकाश में नहीं लाने पर दोषी चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड

एकाउंटेन्ट फर्मों का नाम पैनल से हटाते हुए उन्हें काली सूची में डाल दिया जाएगा एवं उनके विरूद्ध अन्य अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(6) प्राथमिक सहकारी समितियों का अंकेक्षण प्रतिवेदन चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के द्वारा अंकेक्षण संपन्न करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर चार प्रतियों में अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर निम्नलिखित पदाधिकारियों को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(e) संबंधित जिला के जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ।

(f) संबंधित अंचल के सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ।

(g) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 / प्रबंध निदेशक, धनबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिससे समिति संबद्ध है।

(h) अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित सहकारी समिति।

(7) शीर्ष सहकारी संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के द्वारा अंकेक्षण संपन्न करने की तिथि से 45 दिनों के अंदर 03 (तीन) प्रतियों में अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कर निम्नलिखित पदाधिकारियों को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(d) निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड राँची।

(e) संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची।

(f) अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित शीर्ष सहकारी संस्था।

झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0 / धनबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक का अंकेक्षण प्रतिवेदन पूर्व में दिये गये निदेश के अनुरूप सभी संबंधितों को समर्पित किया जायेगा।

(8) प्राथमिक सहकारी समितियों के अंकेक्षण के पश्चात् चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गबन, दुर्विनियोग, वित्तीय अनियमितता से संबंधित मामलों की समीक्षा कर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ द्वारा अधिभार की कार्रवाई की जाएगी।

(9) शीर्ष सहकारी संस्था / झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक के अंकेक्षण के पश्चात् चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गबन, दुर्विनियोग, वित्तीय अनियमितता से संबंधित मामलों की समीक्षा कर संयुक्त निबंधक (अंके०), सहयोग समितियाँ, द०छो०प्र०, रॉची द्वारा अधिभार की कार्रवाई की जाएगी।

(10) धनबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक के अंकेक्षण के पश्चात् चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गबन, दुर्विनियोग, वित्तीय अनियमितता से संबंधित मामलों की समीक्षा कर संयुक्त निबंधक (अंके०), सहयोग समितियाँ, द०छो०प्र० रॉची / जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, धनबाद द्वारा अधिभार की कार्रवाई की जाएगी।

(11) किसी भी चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को पैनल में रखने एवं हटाने अथवा तत्संबंधी कार्रवाई का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास होगा।

(12) यदि सहकारी समितियों के वैद्यानिक अंकेक्षण के लिए आवश्यकतानुसार अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाएगा तो वैसे निर्गत आदेशों का अनुपालन भी संबंधित चार्टड एकाउंटेन्ट / चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को करना होगा।

(13) चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को सहकारी समिति के वैद्यानिक अंकेक्षण प्रारंभ/संपन्न करने की सूचना, संबंधित जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ को देना होगा।

(14) चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म को शीर्ष सहकारी संस्था के वैद्यानिक अंकेक्षण प्रारंभ/संपन्न करने की सूचना संयुक्त निबंधक (अंके०), सहयोग समितियॉ, द०छो०प्र0, रॉची एवं अधोहस्ताक्षरी को देना होगा।

(15) Category A के चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म शीर्ष सहकारी संस्था एवं सभी सहकारी समिमियों के अंकेक्षण के लिए योग्य होंगे।

(16) Category B के चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म ऐसे सहकारी समितियों के अंकेक्षण के लिए योग्य होंगे, जिसका कार्यशील पूँजी (Working Capital) तीन करोड़ से कम हो।

(17) Category C के चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म ऐसे सहकारी समितियों के अंकेक्षण के लिए योग्य होंगे, जिसका कार्यशील पूँजी (Working Capital) दो करोड़ से कम हो।

(18) सहकारी समितियों के कार्यशील पूँजी (Working Capital) का निर्धारण समिति के पूर्व अंकेक्षित वित्तीय वर्ष के आधार पर निबंधक, सहयोग समितियॉ, झारखण्ड, रॉची के आदेश ज्ञापांक–1366 (7) दिनांक–02.05.2019 में उल्लेखित निदेश के आलोक में किया जाएगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

निबंधक
सहयोग समितियाँ,झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1336 (7) /राँची दिनांक 17-06-2022
7/CA EMP.-12/2021

प्रतिलिपि : सभी चार्टड एकाउंटेन्ट/चार्टड एकाउंटेन्ट फर्म/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण सहित)/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0/प्रबंध निदेशक, सभी शीर्ष सहकारी संस्था/प्रबंध निदेशक, धनबाद केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित, उन्हें निदेश दिया जाता है कि अपने अंचल में स्थित सभी सहकारी समितियों को उपर्युक्त पैनल उपलब्ध करायेंगे।

निबंधक
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1336 (7) /राँची दिनांक 17-06-2022
7/CA EMP.-12/2021

प्रतिलिपि : सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची/मुख्य महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, नाबार्ड, रॉची/महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

निबंधक
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।